सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–। आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2023 / 139 दर्ज तिथिः–12.10.2023

1. रमेश चन्द्र सैनी पुत्र हड़मानाराम उर्फ हनुमान जाति माली निवासी वार्ड संख्या 28, खेमका सती मंदिर के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादी–

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री राजेन्द्र कुमार राजपुरोहित
प्रतिवादीगणः– पैरोकार राज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

<u>निर्णय</u>

1. वादीगण की ओर से दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 88 का पेश कर निवेदन किया कि वादी की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 2494 / 1049 / 4.5527 हैक्ट., खसरा संख्या 2496 / 1839 / 0.3667 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 4.9194 हैक्ट. वाके रोही चूरू (राज.) में स्थित चली आ रही है, जिसके बर्तमान खाता संख्या 159 है तथा पुराने खाता संख्या 606 है, जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा है। जिसके खातेदार वादी के पिता हनुमान थे, जिनके फौत होने पर उनका विरासतन इंतकाल नामान्तरकरण दर्ज हुआ है।
2. उक्त विरासतन इंतकाल में वादी का नाम रमेश चन्द सैनी की जगह महेश कुमार त्रुटीवश दर्ज हो गया है, वादी कासही वास्तविक नाम रमेश चन्द सैनी है, लेकिन परिवार में स्नेह व प्यार की वजह से बादी को महेश पुकारा जाता था। इस कारण त्रुटीवश नाम रमेश चन्द सैनी अंकित हो गया।
3. राजस्व रिकॉर्ड में वादी का वास्तविक नाम रमेश चन्द सैनी है और ये एक ही व्यक्ति के नाम है, जिसका नाम अशुद्ध हो गया है, जिसे संशोधित करवाने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।
4. राजस्व रिकॉर्ड में नाम में त्रुटी होने से वादी को काफी हैरानी परेशानी हो रही है तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात आधार [illegible] बुक, पेन कार्ड आदि में उसका सही नाम रमेश चन्द सैनी है। नाम में त्रुटी [illegible] से वादी को सरकारी व अन्य योजनाऐं लेने में काफी परेशानी हो [illegible] है। वादी ने नाम संशोधन हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क [illegible] तहसीलदार, चूरू से निवेदन किया तथा पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:22 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार ने उक्त दावा नाम संशोधन बाबत अदालतवाला में करने का कहने पर दिनांक 10.10.2023 को वादधार प्राप्त हुआ व वादगत रकबा अदालतवाला के सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में है।

5. नाम संशोधन से किसी भी पक्षकार को कोई क्षति होने का कोई अंदेशा नहीं है जिस कारा उन्हे पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है एवं न्यायहित में इसे दुरूस्त किया जा सकता है। वादी ने दिनांक 10.10.2023 को प्रतिवादी को एक प्रार्थना–पत्र नाम में संशोधन करने बाबत दिया तो उन्होनें नाम में संशोधन नहीं करने व न्यायालय में दावा करने की कहने पर वाद कारण हासिल हुआ है।वादी उक्त कृषि भ्का खातेदार काश्तकार होने से उसे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। तहसीलदार द्वारा ही समस्त संशोधन किये जानेव भूमिधारक होने के कारण उसे पक्षकार दावा बनाया गया है।

6. वादगत भूमि रोही चूरू तहसील व जिला चूरू में स्थित है जिसके संबंध में वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय को है। जो उचित न्याय शुल्क पर अंदर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वादी का वाद मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे :–

(क) कृषि भूमि खसरा संख्या 2494/1049/4.5527 हैक्ट., खसरा संख्या 2496/1839/0.3667 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 4.9194 हैक्ट. वाके रोही चूरू तहसील व जिला चूरू में खातेदार महेश कुमार पुत्र हनुमान की जगह रमेश चन्द सैनी पुत्र श्री हड़मानाराम उर्फ हनुमान संशोधित किये जाने का आदेश व डिक्री बहक वादी जारी फरमायी जावें व प्रतिवादी को आदेश फरमाया जावे कि डिक्री अनुसार अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड कराया जावें।

(ख) अन्य अनुतोष हितकर वादी हो या हो जावे, वो भी वादी को प्रदान फरमाया जावे।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित हुए। पैरोकार राज को हिदायत दी गई कि नाम दुरूस्ती बाबत सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत करें जिस पर पैरोकार राज द्वारा पटवारी हल्का कस्बा चूरू से रिपोर्ट लेकर पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस के दौरान दावे में अंकित बिन्दओं को मात्र दोहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज नाम के कारण वादी को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। वादीगणों के सही नाम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी को भी इस संबंध में कोई उज्र एतराज नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया कि महेश कुमार पुत्र हनुमान व रमेश चन्द पुत्र हड़मानाराम उर्फ हनुमान दोनों प्रार्थी के ही नाम है। प्रार्थी को इन दोनों नामों से पुकार जाना बताया गया है। उक्त एक ही व्यक्ति के दो नाम होना बताया गया है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेज यथा राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार [illegible] ही नाम दर्ज है। प्रार्थी का यह नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 2432 दर्ज हुआ है [illegible] उक्त भूमि में इनके पिताजी हनुमान पुत्र रामबक्स जाति माली राजस्व रिकॉर्ड [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:22 IST
Reason: SelfAttested

मैंने प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कर वादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया अंतिम चौसाला आधार संवत 2071–2074 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी खसरा संख्या 2494/1049/4.5527 हैक्ट., खसरा संख्या 2496/1839/0.3667 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 4.9194 हैक्ट. वाके रोही चूरू तहसील व जिला चूरू में वादी का नाम महेश कुमार पुत्र हनुमान हिस्सा 1/5 दर्ज है। तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नाम विरासतन नामान्तरकरण में दर्ज हुआ है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध दस्तावेजात राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड के अनुसार प्रार्थी का नाम रमेश चन्द पुत्र हड़माना राम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी में नाम महेश कुमार पुत्र हनुमान को शुद्ध नहीं बताया गया। दावे में उक्त नाम संशोधन कर महेश कुमार पुत्र हनुमान के बजाय दस्तावेजों के अनुसार रमेश चन्द पुत्र हड़माना राम शुद्ध करवाना चाहा गया है। ग्राम कस्बा चूरू के मजमें आम में उपस्थित व्यक्तियों के अनुसार महेश कुमार पुत्र हनुमान व रमेश चन्द पुत्र हड़माना राम एक ही व्यक्ति के नाम है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी का नाम दुरूस्त किये जाने से भूमिधारी राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश दस्तावेजों व शपथ पत्र से वादी का दावा उसके पक्ष में प्रमाणित होता है। इसलिए दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 2494/1049/4.5527 हैक्ट., खसरा संख्या 2496/1839/0.3667 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 4.9194 हैक्ट. वाके रोही चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) 1/5 हिस्सा में अंकित वादी का नाम महेश कुमार पुत्र हनुमान खातेदार के स्थान पर रमेश चन्द पुत्र हड़माना राम खातेदार संशोधित करने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:22 IST
Reason: SelfAttested